

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :-

*आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (Mobile Veterinary Unit - MVU) एवं इसके संचालन हेतु कार्यरत 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) की सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 615.2645 लाख (रुपये छह करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार चार सौ पचास) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (Mobile Veterinary Unit - MVU) एवं इसके संचालन हेतु कार्यरत 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) की सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 615.2645 लाख (रुपये छह करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार चार सौ पचास) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत व्यय विवरणी-'क', 'ख' एवं 'ग' के रूप में संलग्न।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या-477, दिनांक-12.02.2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-2062, दिनांक-18.06.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए "राज्य स्कीम सात निश्चय-2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप डेलिवरी) सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3. विभागीय राज्यादेश संख्या-4084, दिनांक-12.09.2025 के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (Mobile Veterinary Unit - MVU) के संचालन हेतु कार्यरत 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) की सेवाओं के विस्तार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक की अवधि

हेतु कुल रुपये 210.801 लाख (रुपये दो करोड़ दस लाख अस्सी हजार एक सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. उक्त राज्यादेशों के आलोक में वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के तहत 307 इकाई तथा "राज्य स्कीम सात निश्चय-2" के तहत 227 इकाई अर्थात् कुल 534 Mobile Veterinary Unit (MVU) का संचालन किया जा रहा है। साथ ही उक्त Mobile Veterinary Unit (MVU) के संचालन हेतु राज्य स्तर पर 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) का संचालन किया जा रहा है।
5. उच्चस्तरीय समीक्षा के क्रम में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (MVU) एवं कॉल सेंटर को अधिक जनोपयोगी बनाये जाने एवं प्रभावी अनुश्रवण व्यवस्था हेतु सुदृढीकरण किये जाने पर विचार किया गया। उक्त के क्रम में बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०) के गै०स०प्रे०स०-02 BLDA, दिनांक-18.04.2026 के माध्यम से MVU एवं कॉल सेंटर के सुदृढीकरण हेतु निम्नांकित विवरणी के अनुरूप रुपये 615.2645 लाख (अनावर्ती व्यय- रुपये 495.8365 लाख एवं प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय- रुपये 119.428 लाख) का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है -

S.No	Component	Estimated cost (in Rs.)	
		Non-Recurring cost	Recurring cost (for one year)
1	Power Backup System-Battery & Inverter (2 batteries + 1 Inverter for 307 MVUs purchased under centrally sponsored scheme - ESVHD-MVU and 20 under State Scheme).	1,17,88,350/-	-
2	Installation of Public Address System - 2 speakers (Chunga) and 1 microphone in all the 534 MVUs.	66,75,000/-	-
3	Installation of CCTV surveillance system in all the 534 MVUs - CCTV camera, SIM Card, Data Card-128 GB, alongwith SIM data recharge and data storage & streaming (90 days).	50,46,300/-	40,42,800/-
4	Rebranding of all the 534 MVUs - Branding, creative printing and labour charges.	58,74,000/-	-
5	Upgradation of Call Center Application & Dashboard- - Dashboard System - Live tracking, ear-tagged photos, prescription and inventory management. - IVRS System - smart IVR with ACD based call routing.	2,02,00,000/-	39,50,000/-

	• AI-Based System - TTS, AI APIs, LLM training, Server, Data base and support. • Tracking Application - GPS based real time monitoring.		
6	IT	-	39,50,000/-
Total		4,95,83,650/-	1,19,42,800/-
Grand Total		Rs. 6,15,26,450/-	

The above estimated costs are inclusive of GST, installation, transportation etc.

6. वर्तमान में संचालित MVU एवं Call Centre के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के चयन एवं भुगतान की कार्यवाही बी०एल०डी०ए०, पटना के स्तर से की जा रही है। अतः उक्त के अनुरूप प्रस्तावित योजना में MVU एवं कॉल सेंटर के सुदृढीकरण हेतु आवर्ती/अनावर्ती व्यय के लिए स्वीकृत राशि का आवश्यकता अनुसार व्यय भी परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
7. वर्तमान में योजना हेतु आवर्ती व्यय की गणना मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए की गयी है। परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा योजना के प्रभाव का आकलन करते हुए आगामी वित्तीय वर्षों में आवर्ती व्यय के लिए आवश्यक राशि की गणना करते हुए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
8. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा बिहार वित्त नियमावली एवं संगत वित्तीय प्रावधानों, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार के स्तर से निर्गत सभी दिशा-निदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्च गुणवत्ता युक्त उपकरणों/सामग्रियों का क्रय किया जाए तथा राशि का व्यय किये जाने के पूर्व सभी विपत्रों तथा प्राप्त की गयी सेवाओं/सामग्रियों इत्यादि की पूर्ण जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही वास्तविक दर के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना कार्यान्वयन के क्रम में बी०एल०डी०ए० के प्रोजेक्ट गवर्निंग काउंसिल की सहमति एवं विभागीय अनुमोदन से स्वीकृत राशि के अन्तर्गत उपरोक्त कंडिका-3(v) में अंकित अवयवों में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

11. इस योजनान्तर्गत विभिन्न अवयवों में से किसी भी अवयव के लिये कर्णांकित राशि को दूसरे अवयव में आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा कर्णांकित किया जायेगा।
12. योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।
13. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2" के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।
14. इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत 3106 सहायक अनुदान-गैर वेतन विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा :-
 - (i) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 -पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0108 -पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्र कोड 02-2403001010108.
 - (ii) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0112 -पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्र कोड 02-2403007890112.
 - (iii) मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796 -जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0131 -पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्र कोड 02-2403007960131.
15. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना होंगे।
16. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि (व्यय विवरणी-"क", "ख" एवं "ग" के अनुरूप) की निकासी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक -सह- बुल स्टेशन, पटना द्वारा पटना समाहरणालय कोषागार, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के

पी०एल० खाता (संख्या-PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन पर परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा नियमानुसार व्यय की कार्रवाई की जायेगी एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

17. दिनांक-04.05.2026 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)42/2026 के पृष्ठ 40-39/प०.
18. दिनांक-20.05.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)42/2026 के पृष्ठ 56-55/प०.
19. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/ 2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
20. चूँकि यह एक आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत नयी योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)42/2026 के पृष्ठ-20/टि० एवं दिनांक-08.06.2026.
21. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)42/2026 के पृष्ठ-19/टि० तथा डायरी संख्या-342, दिनांक-01.06.2026.
22. वित्त विभाग के पत्र सं०-7355 दिनांक-05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार सचिव)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/ पटना-15, दिनांक-...18/...6/ 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/ पटना-15, दिनांक-...18/...6/ 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/ पटना-15, दिनांक-...18/...6/ 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/ पटना-15, दिनांक-...18/...6/ 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/ पटना-15, दिनांक-...18/...6/ 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/ पटना-15, दिनांक-...18/...6/ 2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)42 / 2026-3072/पटना-15, दिनांक-18/6/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव



व्यय विवरणी-“क”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (Mobile Veterinary Unit - MVU) एवं इसके संचालन हेतु कार्यरत 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) की सेवाओं के सुदृढीकरण की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02-2403001010108)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0108.3106 -सहायक अनुदान- गैर वेतन	507.593	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
कुल -		507.593		

(पाँच करोड़ सात लाख उनसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र।

3072
18/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-“ख”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (Mobile Veterinary Unit - MVU) एवं इसके संचालन हेतु कार्यरत 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) की सेवाओं के सुदृढीकरण की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड-02-2403007890112)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0112.3106 -सहायक अनुदान- गैर वेतन	98.442	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), प्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
कुल -		98.442		

(अन्तानवे लाख चौवालिस हजार दो सौ रुपये) मात्र।

3072
18/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव



व्यय विवरणी-“ग”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (Mobile Veterinary Unit - MVU) एवं इसके संचालन हेतु कार्यरत 1962-कॉल सेंटर (Call Centre) की सेवाओं के सुदृढीकरण की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड 02-2403007960131)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0131.3106 —सहायक अनुदान— गैर वेतन	9.2295	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक—सह—बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
कुल —		9.2295		

(नौ लाख बाईस हजार नौ सौ पचास रुपये) मात्र।

व्यय का सारांश		
क्र०	व्यय विवरणी	प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)
1	“क”	507.5930
2	“ख”	98.4420
3	“ग”	9.2295
कुल योग :—		615.2645

(छह करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार चार सौ पचास रुपये) मात्र।

3072
18/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

